

झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, राँची - 834001

विज्ञापन

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि-16.10.2025

विज्ञापन संख्या-10/2025

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभागान्तर्गत राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, झारखण्ड, राँची हेतु सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी के रिक्त पदों पर बैकलॉग भर्ती नियुक्ति परीक्षा।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अन्तर्गत राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, झारखण्ड, राँची के विभिन्न प्रशाखाओं में सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी के कुल-08 (आठ) रिक्त पदों पर बैकलॉग भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक-4021, दिनांक-15.07.2024 द्वारा प्राप्त अध्याचना एवं पत्रांक-1793, दिनांक-19.03.2025 तथा पत्रांक-3542, दिनांक-03.09.2025 द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देश एवं संसूचित रिक्तियों के आलोक में इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित-प्रपत्र में One Time Registration (OTR) के माध्यम से Online आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं जो आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

क्र० सं०	पद का नाम (प्रशाखा)	कुल पद	कोटिवार रिक्तियाँ						क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत प्रवर्ग कोटि का विवरण					
	सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी		अनारक्षित	अ०ज०जा०	अ०जा०	अ०पि०व० (अनु०-I)	पि०व० (अनु०-II)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	महिला	खेल कूद	दिव्यांग			(घ) स्वलीनता (Autism), बौद्धिक निःशक्तता, सीखने की विशेष अक्षमता एवं मानसिक रोगी, और, या (ङ) बहु निःशक्तता (Multiple disabilities) जो (क) से (घ) के बीच में निःशक्तता के विभिन्न स्थितियों के मिलने से हो, यह स्थिति अंधापन एवं बहरापन के मिलने से आ सकता है।
											दृष्टि निःशक्त (क)	श्रवण निःशक्त (ख)	चलन निःशक्त (ग)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (भौतिकी)	01	x	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.	सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (आग्नेयास्त्र)	02	x	01	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.	सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (सामान्य रसायन)	01	x	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.	सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (विष विज्ञान)	03	x	03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.	सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (साईबर फॉरेंसिक)	01	x	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
कुल		08	00	07	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00

नोट:- रिक्तियों/पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

- वेतनमान:- P.B.-II, 9300-34800, ग्रेड पे-4800 (Revised Pay Scale-47600-151100)
- पद :- स्थायी
- परीक्ष्यमान अवधि :- 2(दो) वर्ष।

5. अनिवार्य शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ :-

क्र०सं०	पद का नाम	शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ
01	सहायक निदेशक/ वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (भौतिकी)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ भौतिकी में एम०एस०सी० अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ Forensic Science में M.SC एवं स्नातक स्तर पर B.SC (Physics) Honours होना आवश्यक है। (ii) किसी राज्य अथवा भारत सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विश्वविद्यालय/कॉलेज के प्रयोगशाला/शोध संस्थान में संबंधित विषय में दो वर्षों का कार्य करने का अनुभव। (iii) राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स (कम से कम छः माह का Diploma in Computer Application) होना आवश्यक है।
02	सहायक निदेशक/ वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (आग्नेयास्त्र)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ भौतिकी अथवा गणित विषय में एम०एस०सी० अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ Forensic Science में M.SC एवं स्नातक स्तर पर B.SC (Physics or Mathematics) Honours होना आवश्यक है। (ii) किसी राज्य अथवा भारत सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विश्वविद्यालय/कॉलेज के प्रयोगशाला/शोध संस्थान में संबंधित विषय में दो वर्षों का कार्य करने का अनुभव। (iii) राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स (कम से कम छः माह का Diploma in Computer Application) होना आवश्यक है।
03	सहायक निदेशक/ वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (सामान्य रसायन)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ रसायन शास्त्र में एम०एस०सी० अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ Forensic Science में M.SC एवं स्नातक स्तर पर B.SC (Chemistry) Honours होना आवश्यक है। (ii) किसी राज्य अथवा भारत सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विश्वविद्यालय/कॉलेज के प्रयोगशाला/शोध संस्थान में संबंधित विषय में दो वर्षों का कार्य करने का अनुभव। (iii) राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स (कम से कम छः माह का Diploma in Computer Application) होना आवश्यक है।
04	सहायक निदेशक/ वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (विष विज्ञान)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ रसायन शास्त्र में एम०एस०सी० अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ Forensic Science में M.SC एवं स्नातक स्तर पर B.Sc. (Chemistry) Honours होना आवश्यक है। (ii) किसी राज्य अथवा भारत सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विश्वविद्यालय/कॉलेज के प्रयोगशाला/शोध संस्थान में संबंधित विषय में दो वर्षों का कार्य करने का अनुभव। (iii) राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स (कम से कम छः माह का Diploma in Computer Application) होना आवश्यक है।
05	सहायक निदेशक/ वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (साइबर फॉरेंसिक)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ एम०सी०ए०/सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर साइन्स में बी०ई०/बी०टेक अथवा समकक्ष शैक्षणिक योग्यता। (ii) किसी राज्य अथवा भारत सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विश्वविद्यालय/कॉलेज के प्रयोगशाला/शोध संस्थान में संबंधित विषय में दो वर्षों का कार्य करने का अनुभव।

- नोट:-** (क) ऑनलाईन आवेदन भरने की तिथि तक आवेदक के पास उपर्युक्त शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ होनी चाहिए।
- (ख) कार्यालय के प्रधान/विभागाध्यक्ष/संस्थान के प्रमुख द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होंगे।
- (ग) नियमित एवं संविदा द्वारा नियुक्त वैसे कर्मि जो फॉरेंसिक से संबंधित कार्यों के लिए नियुक्ति किये गये हों, के अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होंगे।
- (घ) एक से अधिक पद पर योग्यता रहने की स्थिति में अभ्यर्थी एक से अधिक पद पर भी आवेदन कर सकते हैं।
- (ङ) अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर ज्ञान की जानकारी हेतु 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा जी जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- (च) सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (साइबर फॉरेंसिक/साइबर क्राइम) के लिए समकक्ष शैक्षणिक योग्यता निम्नवत् होंगी।

MAJOR DISCIPLINES OF ENGINEERING/TECHNOLOGY	CORRESPONDING COURSE (S) OF ENGINEERING/ TECHNOLOGY	RELEVANT/APPROPRIATE NOMENCLATURE OF UG DEGREE IN ENGINEERING/TECHNOLOGY
Computer Science and Engineering	Computer Science and Engineering	3-D ANIMATION & GRAPHICS
		ADVANCED COMPUTER APPLICATION
		COMPUTER AND COMMUNICATION ENGINEERING
		COMPUTER ENGINEERING
		COMPUTER ENGINEERING & APPLICATION
		COMPUTER NETWORKING
		COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING
		COMPUTER SCIENCE
		COMPUTER SCIENCE & TECHNOLOGY
		COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY
		COMPUTER SCIENCE AND SYSTEMS ENGINEERING
Computer Science and Engineering	Computer Science and Engineering	COMPUTER TECHNOLOGY
		COMPUTING IN COMPUTING
		COMPUTING IN MULTIMEDIA
		COMPUTING IN SOFTWARE
		ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING
		ELECTRONICS & COMPUTER SCIENCE
		ELECTRONICS AND COMPUTER ENGINEERING
		MATHEMATICS AND COMPUTING
		SOFTWARE ENGINEERING
	Information Technology	INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
		INFORMATION ENGINEERING
		INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING
		INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY
		INFORMATION TECHNOLOGY
		INFORMATION TECHNOLOGY AND ENGINEERING

6. उम्र गणना की संदर्भ तिथि :- 01.08.2024

(क) न्यूनतम उम्र सीमा :- 21 वर्ष।

(ख) अधिकतम उम्र सीमा :- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-609 दिनांक-25.01.2016, संकल्प संख्या-7636 दिनांक-12.10.2018 एवं संकल्प संख्या-29, दिनांक-04.01.2021 के अनुसार सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार है :-

Sl No.	Category	Upper Age Limit
1	Scheduled Tribes/Scheduled Castes (Male and Female)	40 Years
2	Persons with Benchmark Disability (PwBD)	A relaxation of 10 years in their respective category.
3	Ex-Servicemen	A relaxation of 5 years in their respective category.

Note :- A candidate who has rendered at least 03 (three) years of regular service under the Government of Jharkhand, shall be granted 5 years relaxation in the upper age limit.

7. नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया :-

लिखित (वस्तुनिष्ठ) परीक्षा, साक्षात्कार एवं कार्यानुभव के लिए देय अंकों के योग के अनुसार प्राप्त वरीयता क्रम के आधार पर अंतिम रूप से चयन किया जाएगा।

(क) लिखित परीक्षा-लिखित परीक्षा में संबंधित विषय से 100 वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रश्न पूछे जायेंगे। जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 03 अंक एवं कुल-300 अंक का होगा। जिसमें मूल्यांकन के समय Negative Marking का प्रावधान होगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न के लिए दिए जाने वाले अंकों का एक तिहाई (1 अंक) दण्ड के रूप में काटा जाएगा। परीक्षा अवधि 02 घंटे की होगी। लिखित परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा :-

अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32 प्रतिशत
-------------------------------------	------------

- (ख) **कम्प्यूटर ज्ञान एवं संचालन**—50 प्रश्नों (कुल—50 अंकों) का लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रश्न) जाँच परीक्षा होगी एवं प्रत्येक प्रश्न के लिए एक—एक अंक होंगे तथा परीक्षा अवधि—01 (एक) घंटे की होगी, जिसके लिए कोई भी Negative Marking नहीं होगी जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके प्राप्तांक को मेधा सूची में नहीं जोड़ा जायेगा।
- (ग) **साक्षात्कार**—साक्षात्कार के लिए अधिकतम 30 अंक दिये जायेंगे। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर विभिन्न प्रशाखाओं से भरी जाने वाली कुल रिक्तियों की संख्या के 2.5 गुणा अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए आमंत्रित होंगे। साक्षात्कार के लिए कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होगा।
- (घ) **कार्यानुभव**—कार्यानुभव के लिए देय अंक—राज्य या भारत सरकार के किसी विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में कार्यानुभव हेतु प्रत्येक वर्ष के लिए 05 अंक एवं अधिकतम 20 वरीयता अंक दिये जायेंगे।
- नोट:**—किसी राज्य अथवा भारत सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विश्वविद्यालय/कॉलेज के प्रयोगशाला/शोध संस्थान में संबंधित विषय में दो वर्षों का कार्य करने का अनुभव परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनिवार्य है।
- (ङ) **मेधा सूची**— लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं कार्यानुभव के देय अंक के प्राप्तांकों को जोड़कर मेधा—सह—वरीयता सूची तैयार की जायेगी।

नोट :- (i) कम्प्यूटर ज्ञान एवं संचालन परीक्षा हेतु Window, MS Office, Internet तथा e-mail इत्यादि से 50 प्रश्न पूछे जायेंगे।

(ii) लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट www.ipsc.gov.in पर उपलब्ध है।

8. आरक्षण का लाभ :-

(क) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(ख) **आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र :-**

आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाइट www.ipsc.gov.in पर उपलब्ध है।

(ग) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक—235, दिनांक—10.01.2019 के आलोक में अन्य राज्य से झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आव्रजित महिलाओं को आव्रजित राज्य में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है।

(घ) जाति प्रमाण पत्र आवेदक के पिता की जाति के आधार पर निर्गत होना चाहिए।

(ङ) विवाहित/अविवाहित महिला आवेदिका के आरक्षण का लाभ हेतु पिता के नाम से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण देय होगा।

(च) अभिलेख सत्यापन के समय ऑनलाईन आवेदन में किए गए प्रविष्टि (Entry) के अनुरूप सभी प्रमाणपत्रों की संबंधित मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(छ) जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निदेश निम्नवत् है :-

- (i) अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति:- झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-5682, दिनांक-22.10.2008 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-I अथवा पत्रांक-1754 दिनांक-25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-IV अथवा पत्रांक-1361, दिनांक-03.03.2022 द्वारा विहित प्रपत्र-IV (संशोधित) अथवा पत्रांक-2669, दिनांक-10.05.2023 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-V (संशोधित) में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार यथा जिला दण्डाधिकारी/अपर जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी/अनुमंडल दण्डाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी/सहायक समाहर्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी/अंचल अधिकारी में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.ipsc.gov.in पर उपलब्ध है।

(ज) निःशक्तता का लाभ :-

- (i) आवेदन पत्र में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित निःशक्तता का दावा नहीं करने पर निःशक्तता का लाभ देय नहीं होगा। बाद में निःशक्तता का दावा मान्य नहीं होगा।
- (ii) निःशक्तता के लाभ हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या-5888, दिनांक-06.08.2018 प्रभावी होगी। निःशक्तता का लाभ कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्त झारखण्ड के अभ्यर्थी को ही देय होगा। निःशक्तता का दावा हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-2249 दिनांक-03.04.2018 के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति ऑनलाईन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निःशक्तता के लिए किया गया दावा अनुमान्य नहीं होगा। निःशक्तता प्रमाण पत्र का प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.ipsc.gov.in पर Important **Jharkhand Government Circular and Notices** में भी उपलब्ध है।

9. (i) कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणाम:-

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

- Obtaining support of his/her candidature by any means, or
- Impersonating, or
- Procuring impersonation by any person, or
- Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

- (e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
- (g) Using unfair means during the test, or
- (h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
- (i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- (j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
- (k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
- (l) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
 - (i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
 - (ii) to be debarred either permanently or for a specified period:-
 - (iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate.

(ii) कदाचार के लिए कार्यवाही :-

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी। जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी दोषी पाये गये तो झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 के अन्तर्गत वर्णित प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(iii) पूर्व के कदाचार का प्रभाव:-

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

10. परीक्षा शुल्क:-

- (a) परीक्षा शुल्क Credit Card/Debit Card/Net Banking/Wallet/Bharat QR/UPI के माध्यम से Payment Gateway द्वारा लिया जाएगा।
- (b) परीक्षा शुल्क में छूट— झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रु0-150/- (एक सौ पचास) + बैंक चार्ज मात्र है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी एवं बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।

- (c) निःशक्त अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है। इसके लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत निःशक्तता प्रमाण-पत्र का विवरण ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्ट करना एवं आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (d) कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता वाले निःशक्त अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों द्वारा बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे।

11. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश :-

- (क) (i) ऑनलाईन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप कंडिका-11(थ) में निहित निदेश के अनुसार ऑनलाईन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्पष्ट एवं पठनीय स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति (Hard Copy) निर्धारित तिथि तक जमा किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।
- (ii) साक्षात्कार के समय अभिलेख सत्यापन के दौरान ऑनलाईन आवेदन में की गई प्रविष्टि तदनुसार समर्पित आवेदन पत्र में वर्णित एवं संलग्न प्रमाण पत्र/अभिलेखों को मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभिलेख सत्यापन के उपरान्त अंतिम रूप से वैध एवं स्वीकृत अभ्यर्थी ही साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे।
- (ख) (i) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर One Time Registration (OTR) System के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
- (ii) ऑनलाईन आवेदन के साथ वांछित अभिलेख अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- (ग) Online Application में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना एवं तदनुसार समर्पित ऑनलाईन आवेदन एवं वांछित प्रमाण पत्रों की Hard Copy के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी Online Application भली-भाँति विज्ञापन में निहित सभी प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरें। एक बार Online Application में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन का अनुरोध आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् स्वीकार्य नहीं होगा।
- (घ) ऑनलाईन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व "How to Register (OTR)" (आवेदन कैसे करें) आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No. – +919431301419, +919431301636 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह-10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
- (ङ.) ऑनलाईन आवेदन भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के Help Line No. +917979970392, +918340331314 पर कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

- (व) परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए **Payment Helpline No.— +917979970392, +918340331314** पर संपर्क किया जा सकता है।
- (छ) आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की विवरणी **Online Application** में प्रविष्ट करेंगे।
- (ज) **One Time Registration (OTR) System** के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन अद्यतन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे।
- (झ) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (**BLOCK LETTERS**) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।
- (ञ) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्तनी (**Spelling**) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित है।
- (ट) जन्म तिथि— आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है, वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर लिखें।
- (ठ) ऑनलाईन आवेदन भरते समय आवेदक शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विवरणी, विधि स्नातक अंक एवं प्रमाण पत्र, उम्र संबंधी प्रवेशिका (मैट्रिक) प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, निःशक्तता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र ऑनलाइन (**Online**) आवेदन पत्र में निर्धारित कॉलम में अनिवार्य रूप से अवश्य प्रविष्टि करेंगे।
- (ड) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय संशोधित, स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (ढ) **Online Application** पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- (ण) अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है।
- (त) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में दी गई सूचनाओं तदनुसार समर्पित ऑनलाईन आवेदन एवं वांछित प्रमाण पत्रों की **Hard Copy** के किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना, तथ्य छिपाने या भिन्नता की स्थिति पाये जाने पर आयोग ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- (थ) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ सभी वांछित निम्न प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति **Hard Copy** आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे—

- (ii) जन्म तिथि के लिए मैट्रिक मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
- (iii) इन्टरमीडिएट/10+2 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
- (iii) विज्ञापित पद से संबंधित शैक्षणिक अर्हता (स्नातक) प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र।
- (iv) विज्ञापित पद से संबंधित शैक्षणिक अर्हता (स्नातकोत्तर) प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
- (v) किसी राज्य अथवा भारत सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विश्वविद्यालय/कॉलेज के प्रयोगशाला/शोध संस्थान में संबंधित विषय में दो वर्षों का कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र।
- (vi) राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स (कम से कम छः माह का Diploma in Computer Application) प्रमाण पत्र।
- (vii) जाति प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में (झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों हेतु प्रपत्र-I अथवा प्रपत्र-IV अथवा प्रपत्र-IV (संशोधित) अथवा प्रपत्र-V (संशोधित) में।
- (viii) स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, विहित प्रपत्र में (आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु)।
- (ix) अनापत्ति प्रमाण पत्र (झारखण्ड सरकार के स्थायी सेवकों को उम्र सीमा में छूट हेतु)
- (x) भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र (उम्र सीमा में छूट हेतु)
- (xi) उक्त प्रमाण पत्रों की स्पष्ट एवं पठनीय स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आयोग कार्यालय में दिनांक-29.10.2025 अपराह्न 05:00 बजे तक अनिवार्य रूप से "परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची, 834001" के पते पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। लिफाफे के उपर विज्ञापन संख्या-10/2025 तथा परीक्षा का नाम यथा-"सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी बैकलॉग भर्ती नियुक्ति परीक्षा" के साथ-साथ OTR No./Registration No. एवं अभ्यर्थी का नाम मोटे (Bold) अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य है।

12. अंतिम तिथि :-

- (क) आवेदक One Time Registration (OTR) System के माध्यम से दिनांक 26.09.2025 से 16.10.2025 अपराह्न 05:00 बजे तक ही Online आवेदन कर सकते हैं
- (ख) सभी वांछित सूचनाओं सहित आवेदन पत्र One Time Registration (OTR) System के माध्यम से दिनांक-16.10.2025 अपराह्न 05:00 बजे तक ही स्वीकार किये जायेंगे।
- (ग) उक्त कंडिका-11 (थ) के अनुसार Online आवेदन की मुद्रित प्रति के साथ सभी वांछित प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति आयोग कार्यालय में स्पीड-पोस्ट/निबंधित डाक/या हाथों-हाथ आयोग कार्यालय में प्राप्ति की अंतिम तिथि-29.10.2025 होगी।

- (घ) दिनांक-16.10.2025 के बाद दिनांक-17.10.2025 अपराह्न 05:00 बजे तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।
- (ङ) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जायेंगे तथा इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।

ह0/-
उप परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।